

11/2/24/71

फर्द अहकाम

बनवारी बनाम कालूराम वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण)  
प्रकरण संख्या ..... 85/2024 प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212  
आरटीएक्ट 1955


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.07.2024	<p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रामगोपाल कुमावत द्वारा मूल वाद पत्र के साथ पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक...14/8/24 को पेश हों ।</p>	
14/8/24	<p>वकील प्रार्थी उक्त, अस्थाई निषेधाज्ञा का तलबी पत्रिका प्राप्त की, 14/8/24 को इंतजाम तलबी पत्रिका पत्रावली दि० 25/9/24 को पेश की</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)</b></p>	
25/9/24	<p>वकील प्रार्थी उक्त, अस्थाई निषेधाज्ञा का तलबी पत्रिका प्राप्त की, 25/9/24 को इंतजाम तलबी पत्रिका पत्रावली दि० 2/10/24 को पेश की</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)</b></p>	
21/10/24	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ..... है । पत्रावली मत आदेशानुसार दि. 21/10/24 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;"><b>(रीडर)</b></p>	
12/12/24	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ..... है । पत्रावली मत आदेशानुसार दि. 31/12/24 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;"><b>(रीडर)</b></p>	

उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

31/1/25

पत्रावली पेशा इर्द / प्रकरण में बाद-बाद आपाज  
धगाई गई / लेकिन प्राचीन / अप्रामाणिकों व उनके  
अधिकारियों में से कोई भी उत्पत्ति नहीं है /  
अतः प्रकरण आत्म टाजरी आत्म पैदगी में  
स्वपरिज किया जाता है / पत्रावली केवल सुमाद  
लेजर व फतद दारिखत एकर दर्जी नामद से  
काम ले /



उपसपड अधिकारी  
साहपुरा (जयपुर-प्राचीन)